समाहरणालय, मधेपुरा।

(राजस्व शाखा)

-: आदेश :-

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 24(8)/रा0, दिनांक 17-01-2017 के द्वारा अंचल स्तर पर भूमि विवादों के नियमित एवं प्रभावी अनुश्रवण हेतु निदेश प्राप्त है। उक्त पत्र के आलोक में सभी थानाध्यक्षों/ अंचल अधिकारी को निम्नांकित निदेश दिए जाते हैं :-

(01) प्रत्येक सप्ताह के शनिवार को पूर्वाह्न 10:00 बजे से थाना परिसर में अंचल अधिकारी/ थानाध्यक्ष के द्वारा संयुक्त बैठक आयोजित की जाऐगी।

(02) बैठक में जमीन की मापी, रैयतों के बीच जमीन के सीमांकन से संबंधित विवाद, लोक भूमि का अतिक्रमण, बेदखली के मामले एवं अन्य भूमि संबंधित मामलों का निस्तारण किया जाएगा।

(03) निस्तारण की प्रक्रिया निम्नवत होगी :-

(i) अंचल अधिकारी भूमि विवाद पंजी संधारित करेंगे, जिसमें भूमि विवाद समस्या का संक्षिप्त विवरण, जमीन का विवरण, आवेदक का नाम, पंचायत का नाम, प्रतिपक्षी का नाम दर्ज किया जाऐगा। दूसरे शनिवार को उपस्थित होने के लिए प्रतिपक्षियों को सूचना चौकीदार के माध्यम से तामिला कराया जाऐगा।

(ii) सूचना तामिला होने के बाद उभय पक्षों के बीच विवाद के निस्तारण का सार्थक प्रयास किया जाऐगा तथा निस्तारण प्रयास के बाद लिए गए निर्णय को पंजी में अभिलिखित कर सभी पक्षों से हस्ताक्षर कराया जाऐगा। निर्णय की छायाप्रति सभी पक्षों को उपलब्ध करा दी जाऐगी।

(iii) ''भूमि विवाद पंजी'' के कस्टोडियन थानाध्यक्ष होंगे। सभी भूमि विवाद आवेदनों तथा निस्तारण को अंचल अधिकारी के द्वारा एम.एस.एक्सल सीट में कम्प्यूटराईज्ड किया जाऐगा।

(iv) वैसे भूमि विवाद मामले जिन पर विधिवत तरीके से गतिरोध की स्थिति हो तथा यह विधि-व्यवस्था की समस्या को उत्पन्न करने की संभावना रखता हो, उस पर थानाध्यक्ष/ अंचल अधिकारी के द्वारा Cr.P.C. की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्रवाई हेतु अनुमंडल दंडाधिकारी को विवाद के पूर्ण विवरण के साथ सूचित करेंगे।

(04) अनुमंडल स्तर पर भूमि विवादों के अनुश्रवण एवं अनुमंडल स्तर पर प्रतिवेदन समेकित करने हेतु संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अनुमंडल क्षेत्र के लिए नोडल पदाधिकारी नियुक्त किए जाने जाते हैं। वे क्षेत्र भ्रमण के क्रम में अपने क्षेत्राधीन पड़नेवाले थाना में संधारित पंजी का अवलोकन करेंगे एवं विधिवत पंजी संधारण/ कार्रवाई हो रही है अथवा नहीं के संदर्भ में दिशा-निर्देश संबंधित थानाध्यक्ष/ अंचल अधिकारी को संयुक्त रुप से देंगे। साथ ही दोनों पदाधिकारियों से संयुक्त प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रत्येक सोमवार को अद्यतन प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी के समक्ष रखेंगे।

(05) लोक शिकायत निवारण प्राधिकारों से प्राप्त आदेशों का अनुपालन, लोकहित याचिका सं0-9962/2015 रामपुनीत चौधरी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जल निकायों को अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु पारित आदेश का अनुपालन की समीक्षा/ क्रियान्वयन अंचल अधिकारी/ थानाध्यक्ष संयुक्त रुप से करेंगे। जल निकायों के अतिक्रमण से संबंधित सूची जिला के वेवसाईट पर प्रकाशित है। वैसे जल निकाय जिसे अतिक्रमित कर लिया

गया है, उसे अतिक्रमण से मुक्त कराने का विधिसम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे त तत्संबंधी अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(06) प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी/ अनुमंडल पदाधिकारी/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी क्षेत्र भ्रमण के दौरान प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक सुनवाई में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह०/- पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा।

ह०/- जिला पदाधिकारी, मधेपुरा।

ज्ञापांक 56-2 /रा0, मधेपुरा, दिनांक 30/01/2017

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी/ थानाध्यक्ष, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी प्रखंडों के लिए प्रतिनियुक्त वरीय पदाधिकारी/ अनुमंडल पदाधिकारी/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 24(8)/रा0, दिनांक 17-01-2017 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30.1.17

पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा।

जिला पदाधिकारी, मधेपुरा।

<u>प्रपत्र–1</u>

भूमि विवाद प्रतिवेदन

अंचल का नाम	संयुक्त बैठक में भूमि विवाद से संबंधित प्राप्त कुल आवेदनों की संख्या	आवेदनों का ब्रेक अप				निस्तारण किए गए कुल आवेदनों की संख्या	अभ्युक्ति
		नापी/ सीमांकन	अतिक्रमण	बेदखली	अन्य मामले		
01	02	03	04	05	06	07	08

थानाध्यक्ष, ... अंचल अधिकारी, ... भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, ...

प्रपत्र–2

लोक शिकायत निवारण अधिनियम–2016 के अन्तर्गत दिये गये आदेशों के आलोक में अनुपालन प्रतिवेदन का प्रपत्र

(अंचल अधिकारी/ थानाध्यक्ष के द्वारा संधारित)

अंचल का नाम : अनुमंडल का नाम : जिला का नाम :

लोक शिकायत निवारण प्राधिकार का नाम	दिनांक 05-06-2016 से अब तक प्राप्त आदेशों की संख्या				दिनांक 05-06-2016 से अब तक किये गये अनुपालन की स्थिति				अभ्युक्ति
	अतिक्रमण	भू-मापी	सरकारी/ भूदान भूमि के आवंटियों की बेदखली	अन्य मामलें	अतिक्रमण	भू-मापी	सरकारी/ भूदान भूमि के आवंटियों को दखल दिलाये जाने	अन्य मामलें	
अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी									
अपर समाहर्त्ता (लोक शिकायत निवारण)-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी									

थानाध्यक्ष, ...

अंचल अधिकारी, ...